रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2018/चैत्र 23, 1940
No. 240]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2018/CHAITRA 23, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 368(अ).—केन्द्रीय मोटरयान, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1377(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिससे उनको प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे **;**

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 10 नवम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं **;**

और, उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यकतः विचार कर लिया गया है **;**

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् **:-**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 47 में,—

(i) उप-नियम (1) के खंड (छ) में, "ढांचा निर्माताओं से प्ररूप 22क" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् **:-**

"और, किसी बस बॉडी संरचना फैब्रीकेटर द्वारा ड्राईव अवे चेसिस पर निर्मित बस की बॉडी के स्वप्रमाणन के मामले में, प्ररूप 22ख में अनुपालन का प्रमाणपत्र";

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) इस उप-नियम के प्रारम्भ से ही प्रत्येक बस की बॉडी का निर्माता पोर्टल https://www.vahan.nic.in/makermodel पर सुंसंगत ड्राईव अवे चेसिस के सामने बस की बॉडी के ब्यौरे अपलोड करेगा।"।

3. मूल नियम के नियम 126 में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि बस की बॉडी निर्माता राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस: 052 (पुनरीक्षण 1) के अनुसार बस की बॉडी के डिजाइन और अनुमोदन के लिए कोड और पद्धति की अपेक्षाओं के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए ड्राईव अवे चेसिस पर निर्मित बस की बॉडी को स्व-प्रमाणित कर सकेगा ;

परंतु यह और कि बस की बॉडी का निर्माता रूप विधान XXXX XXXX XXXXXX में स्वप्रमाण पत्र के लिए विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराएगा जिसमें किसी विशिष्ट वर्ष में पहले चार अक्षर बॉडी निर्माता पहचान कोड को, जिसके पश्चात् फैब्रीकेशन के वर्ष को उपदर्शित करने वाले चार अंक और इसके पश्चात् क्रम संख्यांक को दर्शित करने वाल छह अंकों को निरूपित करते हैं।

4. मूल नियम के प्ररूप 22 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 22ख

[नियम 47(1)(छ) देखें**]**

भाग-क

समय-समय पर यथासंशोधित बस की बॉडी डिजाइन और अनुमोदन एआईएस:052 के लिए कोड और पद्धति के उपबंधों के लिए बस की बॉडी निर्माता द्वारा ड्राईव अवे चेसिस पर निर्मित बस की बॉडी के अनुपालन का आरम्भिक स्व-प्रमाणपत्र

1.	बस ढांचा निर्माता का नाम, पता और टेलीफोन नंबर	
2.	प्रत्यायन प्रमाणपत्र विवरण	
3.	चेसिस का विवरण, जिस पर बस का निर्माण होता है	
3.1	चेसिस निर्माता का ब्यौरा	
3.2	चेसिस नंबर	
3.3	चेसिस का प्रकार: सीढ़ी/अर्द्ध-अविभाज्य/अविभाज्य	
3.4	इंजन मेक और मॉडल	
3.5	वाहन पर इंजन की स्थिति	
3.6	ईंधन का प्रकार	
3.7	इंजन नंबर	
3.8	व्हील बेस	
3.9	संचरण का प्रकार	
4.	**चेचिस पर निर्मित बस ढांचे का विवरण**	
4.1	टाइप 1/2/3/मिनि/मिडि	
	कंफर्ट श्रेणी [एनडीएक्स/एसडीएक्स/डीएलएक्स/एसीएक्स]	

4.2	(i) डिजाइन्ड सीटिंग (ii) महिलाओं/वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीट आरक्षण (iii) यथा अनुप्रयोज्य स्टैंडिंग क्षमता लेआउट ड्रॉइंग को संलग्न करें	
4.3	कि.ग्राम में भार	
4.3.1	कर्ब भार	
4.3.2	चेसिस भार	
4.3.3	सकल यान भार (जी वी डब्ल्यू)	
5.	**समग्र आयाम** (i) लंबाई (ii) चौड़ाई (iii) ऊंचाई (iv) फ्रंट ओवरहैंग (v) रियर ओवरहैंग विमाओं को इंगित करने वाला आरेखण संलग्न करें	
6.	**आंतरिक विमाएं, तकनीकी और सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं**	
6.1	सर्विस दरवाजे : (i) सर्विस दरवाजों की संख्या (ii) सर्विस दरवाजे का प्रकार (मैनुअल/पावर संचालित/स्वचालित) (iii) स्थान/स्थिति (लागू आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली विमाएं)	
6.2	**खिड़कियां :** (i) खिड़कियों के प्रकार (ii) खिड़कियों की संख्या (iii) खिड़कियों की स्थिति/स्थान (iv) खिड़कियों की विमाएं लगाई गई खिड़कियों का विवरण संलग्न करें	
6.3	गार्ड रेलिंग – गार्ड रेलों के ब्यौरे संलग्न करें	
6.4	**आपातकालीन निकास :** (i) निकासों की संख्या (ii) निकासों का स्थान (iii) आपातकालीन निकास का प्रकार (अर्थात् आपातकालीन दरवाजे/आपातकालीन खिड़कियां/आपातकालीन जालियां इत्यादि)	
6.5	**आपातकालीन दरवाजा :** (i) विमाएं (ii) स्थिति (iii) अंदर या बाहर या दोनों ओर से खोलना (iv) पहुंच (v) सुरक्षा इंटर-लॉक (vi) खुली स्थिति में चेतावनी अलार्म	
6.6	**आपातकालीन खिड़की :** (i) आपातकालीन खिड़की का प्रकार	

	(ii) विमाएं (iii) स्थिति (iv) आपातकालीन खिड़की खोलने की विधि (v) आपातकालीन खिड़कियों की संख्या (vi) खिड़कियों के शीशे तोड़ने की व्यवस्था	
6.7	**निकास जालियां :** (i) आपातकालीन जालियों के प्रकार (ii) विमाएं, स्थिति (iii) आपातकालीन जालियों की संख्या (iv) खोलने की विधि (v) शीशों को तोड़ने की व्यवस्था	
6.8	आपातकालीन निकास को चिन्हित करने की पद्धति और प्रक्रिया के ब्यौरे	
6.9	सुरक्षा संकेतों के ब्यौरे :	
6.10	**सीढ़ियां :** दरवाजा, सीढ़ियों की संख्या सीढ़ियों की ऊंचाई सीढ़ियों की विमाएं क्या प्रत्याकर्षणीय सिमटने योग्य सीढियां लगाई गई हैं।	
6.11	सर्विस दरवाजे से वाहन में प्रवेश के स्थान के ब्यौरे	
6.12	**फर्श क्षेत्र और ऊंचाई का पैमाना :** (i) फर्श का क्षेत्रफल (ii) फर्श की लंबाई	
6.13	मार्ग और पहुंच मार्ग की ऊंचाई, चौड़ाई और ढलान के ब्यौरे	
6.14	मार्ग, मार्ग क्षेत्र, सेवा द्वार क्षेत्र और आपातकालीन द्वार क्षेत्र में हैंड रेल और हैंड होर्ड का निवारण	
6.15	सीटों और सीट लेआउट का ब्यौरा सीटों का अभिविन्यास संलग्न करें	
6.16	यात्री सीटों का विमाएं : (i) सीट की चौड़ाई (ii) बैक रेस्ट की ऊंचाई (iii) आर्म रेस्ट की चौड़ाई (iv) सीट कुशन की गहराई (v) बैठने का स्थान (vi) सीट बेस की ऊंचाई (vii) टोरसो कोण (viii) सीट आधार की मोटाई (ix) सीटबैक की मोटाई (x) क्लीरेंस लेग स्पेस (xi) बैठने की स्थिति के ऊपर मुक्त ऊंचाई (xii) बैठने की स्थिति के ऊपर इन्ट्रयूशन	

क्या निम्नलिखित बस बॉडी कोड एआईएस:52आरईवी.1 (समय समय पर संशोधित) में अनुबंध के रुप में उपबंधित किया गया है । **महत्वपूर्ण टिप्पण :- यदि अनुपालन को "नहीं" के रुप में रिपोर्ट किया जाता है तब यान का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा ।**		
6.17	ड्राइवर का कार्यक्षेत्र : टिप्पण: ड्राइवर का दरवाजा, चढ़ने की सुविधा, हैंड होल्डस, कार्यक्षेत्र की विमाएं, स्टेरिंग पहिए की स्थिति, इन्स्ट्रूमेंट पैनल का स्थापन, तारों पर चढ़ाने के लिए पर्दा, नियंत्रणों की स्थिति, ड्राइवर के लिए गर्मी/ठंडक/सम्वातन बस बॉडी कोड में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधित किया जाएगा ।	(हां/नहीं)
6.18	खड़े होने वाले यात्री क्षेत्र : टिप्पण : खड़े होने वाले यात्री क्षेत्र बस बॉडी कोड में यथाविनिर्दिष्ट अवधारित और उपबंधित किया जाएगा	(हां/नहीं)
6.19	बैठने और खड़े होने वाले यात्रियों की क्षमता की परिकल्पना : **टिप्पण** : बैठने और खड़े होने के क्षेत्र के विन्यास के साथ बस बॉडी कोड में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पर आधारित बैठने और ख ाड़े होने वाले यात्रियों की क्षमता की गणनाओं को उपदर्शित करने वाली शीट संलग्न करें ।	(हां/नहीं)
6.20	लोक सूचना प्रणाली (श्रव्य/दृश्य/श्रव्यदृश्य):	(हां/नहीं)
6.21	बॉडी इन्सूलेशन के लिए प्रयुक्त सामग्री	(हां/नहीं)
6.22	पीछे देखने वाले दर्पणों के लिए टाइप अनुमोदन	(हां/नहीं)
6.23	**विंड स्क्रीन वाइपिंग प्रणाली और ड्राइवर का दृष्टि क्षेत्र** : वाइपिंग प्रणाली अवयवों के टाइप अनुमोदन ब्यौरे **टिप्पण** : 1. विंड स्क्रीन वाइपिंग प्रणाली और ड्राइवर का दृष्टि क्षेत्र बस बाडी कोड में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रदान किए जाएंगे ।	(हां/नहीं)
	2. प्रतिस्थापन पालन के अनुपालन को प्रस्तुत किया जाएगा ।	(हां/नहीं)
6.24	**पैड सामग्री** : **टिप्पण** : बस बाडी कोड में विनिर्दिष्ट पैड सामग्री या उससे उच्चतर जो विनिर्दिष्ट की जाए प्रदान की जाएगी ।	(हां/नहीं)
6.25	अग्नि जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा :	(हां/नहीं)
6.26	प्राथमिक उपचार उपस्कर :	(हां/नहीं)
6.27	आंतरिक ध्वनि स्तर का मापा गया मान :	(हां/नहीं)
6.28	बाडी संरचना की शक्ति : अनुपालन रिपोर्ट के ब्यौरे संलग्न करें ।	(हां/नहीं)
6.29	बस संरचना का स्थायित्व अनुपालन रिपोर्ट के ब्यौरे संलग्न करें ।	(हां/नहीं)
6.30	दरवाजें : कब्जें और दरवाजें के हैंडलों की अनुपालन रिपोर्ट के ब्यौरे संलग्न करें । **टिप्पण** : दरवाजें की संरचनाएं, दरवाजें के कब्जें, दरवाजें के हैंडिल और रबड़ सीलिंग एथलाइन प्रोपोलाइन दाईन मोनोमर (ईपीडीएम) बस बाडी कोड में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधित किए जाएंगे ।	(हां/नहीं)

6.31	दरवाजें के अवयवों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट के ब्यौरे संलग्न करें :	(हां/नहीं)
लाइटिंग, सिगनलिंग और इंडीकेटिंग प्रणाली		
6.32	(क) बाहरी लाइटिंग और सिगनलिंग युक्ति के टाइप अनुमोदन ब्यौरे (ख) बाहरी लाइटिंग और सिगनलिंग युक्ति के प्रतिस्थापन ब्यौरे (ग) आंतरिक लाइटिंग के ब्यौरे प्रदीपन युक्ति, बल्बों के प्रकार, फोटोमैट्रिक अपेक्षा, डैश बोर्ड, टैल-टेल लाइटिंग और कंट्रोल लाइटिंग, ड्राइवर कक्ष लाइटिंग, यात्री कक्ष लाइटिंग और अन्य क्षेत्र लाइटिंग की स्थिति उपदर्शित करें।	(हां/नहीं)
विद्युत उपस्कर और वायरिंग		
6.33	विद्युत तारों, फ्यूजों, टर्मिनलों सहयोजकों और अवयवों के संबंध में अनुपालन स्थापित करने वाले दस्तावेज संलग्न करें : **टिप्पण** : विद्युत तारों, फ्यूजों, टर्मिनलों, सहयोजकों और अवयवों को बस बाडी कोड में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार प्रदान किया जाएगा	(हां/नहीं)
6.34	विद्युत परिपथ सुरक्षा के ब्यौरे : बस बाडी कोड में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन को स्थापित करने वाले दस्तावेज संलग्न करें।	(हां/नहीं)

स्व-घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) उपरोक्त यान की बाडी/संरचना हमारे द्वारा बनाई गई है और समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस :052 (आरईवी1) की अपेक्षाओं और मोटरयान अधिनियम, 1988 के सभी उपबधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।

(ख) चेसिस, उसके समुच्चय या अवयवों में कोई हेरफेर नहीं किया गया है।"।

....

बाडी बनाने वाले के हस्ताक्षर

बाडी बनाने वाले की मुद्रा।"।

[सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. संख्यांक 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. संख्यांक 243(अ) तारीख 20 अप्रैल, 2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2018

G.S.R. 368(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification number G.S.R 1377 (E), dated the 10th day of November , 2017of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette notification were made available to the public on the 10th day of November, 2017.

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2018

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 47, -

(i) in sub-rule (1), in clause (g), after the words, figures and letter "Form 22A from the body-builders", the following words, figures and letters shall be inserted, namely: -

"and, in case of self-certification of the bus body built on a drive away chassis by a bus body structure fabricator, certificate of compliance in Form 22B";

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:

"(5) On and from the commencement of this sub-rule, every bus body builder shall upload the bus body details against the relevant drive away chassis on the portal https://www.vahan.nic.in/makermodel.".

3. In the principal rules, in rule 126, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that a bus body builder may self-certify the bus body built on a drive away chassis certifying compliance to the requirements of the Code and Practice for Bus Body Design and Approval in accordance with AIS:052, (Rev.1) as amended from time to time], as per the procedure notified by the Central Government in the official Gazette;

Provided further that the bus body builder shall provide a unique identification number to the self-certificate in the format XXXX XXXXXXXXXX wherein the first four characters represent body builder identification code followed by four digits indicating the year of fabrication followed by six digits signifying the serial number in the particular year."

4. In the principal rules, after Form 22A, the following Form shall be inserted, namely: -

"FORM 22B

[See rule 47(1)(g)]

PART-A

Initial self-certificate of compliance of the bus body built on drive away chassis by the bus body builder to the provisions of the Code and Practice for Bus Body Design and Approval AIS:052, as amended from time to time

1.	Name, address and telephone number of the bus body builder	
2.	Accreditation certificate details like number, date and validity	
3.	**Details of chassis on which bus is built**	
3.1	Particulars of chassis manufacturer	
3.2	Chassis number	

3.3	Type of chassis : Ladder /semi-integral/integral	
3.4	Engine make and model	
3.5	Position of engine on vehicle	
3.6	Type of fuel	
3.7	Engine number	
3.8	Wheel base	
3.9	Type of transmission	
4.	**Details of bus body built on the chassis**	
4.1	Type I/II/III/Mini/Midi	
	Comfort category [NDX/SDX/DLX/ACX]	
4.2	(i) Designed seating (ii) Seat reservation for women/senior citizen/person with disability (iii) Standing capacity as applicable (iv) **Enclose layout drawing**	
4.3	Weight in Kg	
4.3.1	Chassis Weight	
4.3.2	Kerb Bus Weight	
4.3.3	Gross Vehicle Wight (GVW)	
5.	**Overall dimensions** (i) Length (ii) Width (iii) Height (iv) Front overhang (v) Rear overhang Enclose drawing indicating dimensions	
6.	**Internal dimensions, technical and safety requirements**	
6.1.	**Service door:** (i) Number of service doors (ii) Type of service door (manual/ power operated/ automatic) (iii) Location/position (dimensions to be furnished as per applicable requirements)	
6.2.	**Window:** (i) Type of windows (ii) Number of windows (iii) Position/locations of windows (iv) Dimensions of widows Enclose details of the windows provided.	
6.3.	**Guard rail -** Enclose details of guard rails	

6.4.	**Emergency exits:** (i) Number of exits (ii) Location of exits (iii) Type of emergency exits (i.e. emergency doors / emergency windows / emergency hatches etc.)	
6.5.	**Emergency door**: (i) Dimensions (ii) Position (iii) Opening from inside or outside or both (iv) Access (v) Safety interlock (vi) Warning alarm in open position	
6.6.	**Emergency window:** (i) Type of emergency window (ii) Dimensions (iii) Position (iv) Method of opening emergency window (v) Number of emergency windows (vi) Window glass breaking provision	
6.7.	**Escape hatch:** (i) Type of emergency hatches (ii) Dimensions, position, (iii) Number of emergency hatches (iv) Method of opening (v) Glass breaking provision	
6.8.	Details of method and procedure of marking of emergency exits	
6.9.	Details of safety signs:	
6.10.	**Step:** Number of door steps Height of the steps Dimensions of the steps Whether retractable/collapsible steps provided	
6.11.	Details of access space from service door to inward of the vehicle	
6.12.	**Dimensions of floor area and height:** (i) Floor area (ii) Floor height	
6.13.	Details of gangway and access passage height, width and slope	
6.14.	Details of hand rails and hand holds in the gangways, passage area, service door area and emergency door area	
6.15.	Details of seats and seat layout. Enclose layout of seats.	

6.16.	Dimensions of passenger seats: (i) Seat width (ii) Back rest height (iii) Arm rest width (iv) Seat cushion depth (v) Seat spacing (vi) Seat base height (vii) Torso angle (viii) Seat base thickness (ix) Seat back thickness (x) Clearance leg space (xi) Free height over seating position (xii) Intrusion over seating position	
Whether following are provided as stipulated in Bus Body Code AIS:52 Rev.1 (amended time to time). **Important Note:- In case if the compliance is reported as "No" then vehicle shall not be registered.**		
6.17.	Driver work area: **Note**: Driver door, climb facility, hand holds, work area dimensions, position of steering wheel, placement of instrument panel, shroud for wiring harness, position of controls, heating/cooling/ventilation for the driver to be provided as specified in the bus body code.	(Yes/No)
6.18.	Standee passenger area: **Note**: Standee passenger area to be determined and provided as specified in the bus body code.	(Yes/No)
6.19.	Designed seating and standee passenger capacity: **Note**: Enclose a sheet indicating calculations of the seating and standing passenger capacity based on the procedure specified in the bus body code along with layout of seats and standees area.	(Yes/No)
6.20.	Public information system (audio/visual /audio visual):	(Yes/No)
6.21.	Materials used for body insulation	(Yes/No)
6.22.	Type approval of rear view mirrors	(Yes/No)
6.23.	**Wind screen wiping system and driver field of vision:** Type approval details of the wiping system components **Note:** 1. Wind screen wiping system and driver field of vision to be provided in accordance with requirements specified in the bus body code. 2. Installation performance compliance to be submitted.	(Yes/No)
6.24.	**Pad material:** **Note**: Pad material specified in bus body code, or superior to that specified, to be provided.	(Yes/No)
6.25.	Protection against fire risk:	(Yes/No)
6.26.	First aid equipment:	(Yes/No)

6.27.	Measured values of interior noise level:	(Yes/No)
6.28.	Body structure strength: Enclose compliance report details	(Yes/No)
6.29.	Bus structure stability: Enclose compliance report details	(Yes/No)
6.30.	Doors: Enclose compliance report details of hinges and door handles. **Note**: Door structures, door hinges, door handles and ethylene propylene Diene monomer (EPDM) rubber sealing shall be provided as specified in the bus body code.	(Yes/No)
6.31.	Enclose compliance report details in respect of door components:	(Yes/No)
Lighting, signaling and indicating system:		(Yes/No)
6.32	a) Type approval details of external lighting and signaling devices: b) Installation details of external lighting and signaling devices: c) Details of internal lighting: Indicate position of illumination devices, types of bulbs, photometric requirement, dash board tell-tale lighting and control lighting, driver cabin lighting, passenger compartment lighting and other area lighting	(Yes/No)
Electrical equipment and wiring		(Yes/No)
6.33	Enclose documents to establish compliance **in respect of** electrical cables, fuses, terminal, connector and elements: **Note**: Electrical cables, fuses, terminal, connector and elements to be provided as per the requirements specified in the bus body code.	(Yes/No)
6.34	**Details of electrical circuit safety:** Enclose documents to establish compliance to the requirements specified in the bus body code	(Yes/No)

Self-Declaration

This is to certify that-

(a) the body/structure of the above vehicle has been fabricated by us and the same complies with the requirements of AIS:052 (Rev 1) as amended from time to time and all the provisions of the Motor Vehicles, Act, 1988 and the rules made there under;

(b) no alteration of chassis, its aggregates or components has been carried out.".

Signature of the body builder

Seal of the body builder.".

[No. RT-11028/02/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590 (E), dated the2nd day of June 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R 243 (E) dated 20th March, 2018**.**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.17 18:18:48 +05'30'